पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 109/2024 दिनांक- 02.04.2024

प्रेस नोट

थाना अतरौलिया

चोरी करने करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, 1400/- रुपये बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 01.04.2024 को वादी मुकदमा फूलचन्द पुत्र सुमेर निवासी सघनपट्टी थाना अतरौलिया सरकारी अस्पताल अतरौलिया में दवा लेने गया था जिसकी जेब से 900/- रुपये तथा अन्य दूसरे व्यक्ति शेरबहादुर सैनी की जेब से 500/- रुपये अभियुक्त अनोज कुमार उर्फ बीयर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी कन्नोपुर छितौनी थाना जलालपुर ने चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/24 धारा 379/411 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 02.04.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अनोज कुमार उर्फ वियर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद ग्राम कन्नोपुर छितौनी थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर को अस्पताल अतरौलिया से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के पास से कुल 1400/- (चौदह सौ रु0) रुपया बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 106/24 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त– अनोज कुमार उर्फ वियर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद ग्राम कन्नोपुर छितौनी थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर।
बरामदगी– 1400/- रूपया
आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 246/18 धारा 60 आबकरी अधि0 थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर
2. मु0अ0सं0 27/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी जौनपुर
3. मु0अ0सं0 23/23 धारा 323/325/504 भादवि थाना जलालपुर अंबेडकरनगर
4. मु0अ0सं0 180/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर अम्बेडकर नगर
5. मु0अ0सं0 357/23 धारा 8/20 एऩडीपीएस एक्ट थाना बदलापुर जौनपुर
6. मु0अ0सं0 246/18 धारा 60 आबकरी अधि0 थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर
7. मु0अ0सं0 46/23 धारा 41/411 भादवि थाना शाहगंज जौनपुर
8. मु0अ0सं0 48/23 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहगंज जौनपुर
9. मु0अ0सं0 51/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 174/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव. का0 रामसागर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

आज दिनांक 01.04.2024 को व0उ0नि0 गंगाराम विन्द मय हमराह थाना फूलपुर द्वारा थाना पवई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 395/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शेख शहजाद पुत्र मुस्ताक अहमद ग्राम टेऊँगा बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मा.न्यायालय से निर्गत 82 सीआरपीसी की नोटिस का तामिला गवाह (1) ग्राम प्रधान केदार चौधरी पुत्र स्व0 सोचन साकिन सदरपुर बरौली थाना फूलपुर आजमगढ़, व (2) रामकृष्ण पुत्र चन्द्रभूषण साकिन सदरपुर बरौली थाना फूलपुर आजमगढ़ के समक्ष अभियुक्त शेख शहजाद के घर मुख्य द्वारा पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी पिटवाकर/ मुनादी कराया गया।

थाना फूलपुर

82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

आज दिनांक 01.04.2024 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 60/2022 धारा 60(A) आबकारी अधि0 व 272/273/34/302 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त रवि कुमार क्षत्रि (राजकुमार) पुत्र केश कुमार क्षत्रि साकिन सी0के0 61/8 काशीपुरा विशेश्वरगंज वाराणसी के विरुद्ध मा.न्यायालय से निर्गत 82 सीआरपीसी की नोटिस का तामिला गवाह (1) बाबू पुत्र किशुनदास साकिन सीके 61/9 काशीपुरा थाना चौक जनपद वाराणसी (2) किशन पुत्र छोटेलाल साकिन सीके 61/10 काशीपुरा थाना चौक जनपद वाराणसी के समक्ष अभियुक्त के घर के मुख्य द्वारा पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी पिटवाकर/ मुनादी कराया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना देवगांवः 04 आरोपी अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व 5000/- रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 16.05.2010 को वादी मुकदमा विक्रम सरोज पुत्र तिलकधारी निवासी ब्यहरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 685/2010 धारा 304/34/323/504 भादवि0 बनाम 1. श्रीपति सरोज पुत्र बनवारी, 2- मैना देवी पत्नी श्रीपति, 3- बाल अपचारी, 4- निर्मला उर्फ माधूरी पुत्री श्रीपति सरोज निवासी ब्यहरा थाना देवगांव, आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 01.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. श्रीपति सरोज पुत्र बनवारी, 2- मैना देवी पत्नी श्रीपति, 3- बाल अपचारी, 4- निर्मला उर्फ माधूरी पुत्री श्रीपति सरोज निवासी ब्यहरा थाना देवगांव, आजमगढ़ को धारा 304/34/323/504 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

आगामी रामनवमी, ईद त्योहार व लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने थाना महराजगंज व जीयनपुर में की बैठक

आज दिनांक- 02.04.2024 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा रामनवमी, ईद त्योहार व लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना महराजगंज व जीयनपुर में आमजन के साथ बैठक की गयी, सभी को आदर्श आचार संहिता से अवगत कराते हुए आयोग की गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए।

➡पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्भ्रान्त व्यक्तियों से आगामी रामनवमी, ईद त्योहार व लोकसभा चुनाव 2024 से सम्बन्धित समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा आमजन को यहा भी बताया गया कि पुरे जनपद में आचार संहिता एवं धारा 144 लागू है कोई किसी भी प्रकार का आयोजन भी होगा तो बिना अनुमति के न हो, हर आयोजन, सभा या कोई जुलूस हो या कोई रैली हो उसका विधिक रूप से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कराया जायेगा। जुलूस के सम्बन्ध में यह निर्देश है कि एक जुलूस में 10 गाड़िया रह सकती है, 100 मीटर का गैप देना होगा तब दुसरी गाड़ी रह सकती है। निर्वाचन आयोग का बेसिक नियम है, जिनका पालन करने हेतु आप सभी लोगो को निर्देश दिया गया।

➡जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से खंड विकास अधिकारियों के साथ बूथों का निरीक्षण करते हुए जल, सफाई, विद्युत व्यवस्था, रैंप, शौचालय आदि व्यवस्थाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

➡पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थानाध्यक्ष ग्रामों में भ्रमण कर जारी किए गए लाइसेंस शास्त्रधारक की जानकारी प्राप्त करें तत्काल लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करायें।

➡***किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव से सम्बन्धित शिकायत अवैध शराब, डराना/धमकाना, प्रलोभन,अवैध शस्त्र,पैसा बांटना, अपराधिक गतिविधि ,मादक पदार्थों का सेवन/ वितरण व किसी प्रकार की सामग्री का वितरण नगदी/शराब/ कपड़े इत्यादि की सूचना चुनाव पुलिस मित्र कंट्रोल रूम के हेल्प लाइन नं0 0546-2297573 पर 24 घण्टे दिया जा सकता है ।***

➡***यदि कोई शिकायतकर्ता अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है तो केवल गांव का नाम बताना अनिवार्य होगा, जिससे पुलिस कार्यवाही की जा सकें तथा शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जा सकें।***

➡उप जिलाधिकारी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठकर विवादित स्थान पर जाकर अराजक तत्वों को चिन्हित कर पाबंद करें गांव के सभी संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करें।

➡उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी व्यक्ति 49000 से अधिक नगदी लेकर चल रहा है तो अपने साथ रिकॉर्ड जरूर रखें कितने नोट हैं बैंक से निकले हैं तो उसका कागज और एटीएम की पर्ची साथ में रखें। चुनाव में धनबल के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित न किया जाए ,इसलिए चेकिंग शुरू हो चुकी है। यदि 49000 से अधिक कैश है, तो हिसाब देना जरूरी है हिसाब नहीं दे पाने पर रकम जब्त कर ली जाएगी।